भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4498
उत्तर दिनांक 20/08/2025 को दिया गया

कार्यशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र

4498. श्री सौमित्र खान
श्री सनातन पांडेय

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) देश के विभिन्न राज्यों/स्थानों में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यशील हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इनके संचालन को बेहतर बनाने के लिए कोई नई तकनीक/नीति अपनाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	स्थल	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)
महाराष्ट्र	तारापुर	टीएपीएस-1	160
		टीएपीएस-2	160
		टीएपीएस-3	540
		टीएपीएस-4	540
राजस्थान	रावतभाटा	आरएपीएस-1*	100
		आरएपीएस-2	200
		आरएपीएस-3	220
		आरएपीएस-4	220
		आरएपीएस-5	220
		आरएपीएस-6	220
		आरएपीएस-7	700
तमिलनाडु	कल्पाक्कम	एमएपीएस-1	220
		एमएपीएस-2	220
	कुडनकुलम	केकेएनपीपी-1	1000
		केकेएनपीपी-2	1000
उत्तर प्रदेश	नरौरा	एनएपीएस-1	220
		एनएपीएस-2	220
गुजरात	काकरापार	केएपीएस-1	220
		केएपीएस-2	220
		केएपीएस-3	700
		केएपीएस-4	700
कर्नाटक	कैगा	केजीएस-1	220
		केजीएस-2	220
		केजीएस-3	220
		केजीएस-4	220

'*' आरएपीएस-1 (100 मेगावाट) विस्तारित शटडाउन के अधीन है।

(ख) सरकार ने देश के ऊर्जा संक्रमण प्रयासों के मद्देनजर नाभिकीय ऊर्जा मिशन शुरू करने के लिए नीति निर्देश निर्धारित किए हैं। यह मिशन नए रिएक्टरों के डिजाइन और प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना; साथ ही मौजूदा/स्थापित प्रौद्योगिकी/डिजाइन का बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन करना है। इसके लिए विनिर्माण उद्योगों सहित निजी निवेशकों और निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक होगी। वित्त वर्ष 2024-25 में, बजट घोषणा के भाग के रूप में, भारत लघु रिएक्टर (बीएसआर) की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने के लिए नीति-निर्देश दिए गए हैं, और उसी के अनुसरण में, एनपीसीआईएल ने बिजली उत्पादन के लिए स्वोत्पाद (कैप्टिव) संयंत्रों के रूप में छोटे-आकार के 220 मेगावाट-पीएचडब्ल्यूआर आधारित एनपीपी के वित्तपोषण और निर्माण के लिए निजी उद्योगों को अनुरोध प्रस्ताव जारी किया है। बीएसआर को एनपीसीआईएल द्वारा चालू और प्रचालित करने का प्रस्ताव है, लेकिन इन्हें निजी पूंजी के साथ स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे खनिज और धातु, पैट्रोकेमिकल इत्यादि को लक्षित करना होगा जिससे उद्योग क्षेत्र के विकार्बनीकरण में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, निजी निवेश को शामिल करने से यह अपेक्षा की जाती है कि जैसे ही देश में नाभिकीय क्षेत्र के तीव्र विस्तार के लिए योजना/रोडमैप जब रणनीतिक स्तर पर विकसित होगा, तो इससे उद्योग (सार्वजनिक और निजी) को एक स्पष्ट नीतिगत संकेत मिलेगा कि वे परमाणु परियोजनाओं में भागीदारी करें तथा क्षमता/अवसंरचना विस्तार की योजना बनाएं। इससे उन्हें व्यापार की निरंतरता का आश्वासन मिलेगा, जिससे वे लंबे समय तक निवेशित रह सके। यह पहल निवेशकों के विश्वास को भी मजबूत करेगी ताकि वे नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में सूचित निर्णय ले सकें और यहाँ तक कि जीवाश्म ईंधन आधारित व्यवसाय भी नाभिकीय क्षेत्र में विविधता लाने हेतु निवेश कर सके। यह मनोबल वित्तीय निवेश के रूप में काम करेगा बल्कि जीवाश्म ईंधन क्षेत्र से प्रशिक्षित एवं अनुभवी जनशक्ति को पुनः प्रशिक्षित कर नाभिकीय क्षेत्र में तैनात करने का अवसर भी उपलब्ध कराएगा। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को जलवायु वित्त के लिए पात्र बनाने से इस मिशन की प्रगति को बड़ी बढ़त मिलेगी।

*****